Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 41: Transfer of credit on sale, merger, amalgamation, lease or transfer of a business

(1) A registered person shall, in the event of sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer or change in ownership of business for any reason, furnish the details of sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer of business, in **FORM GST ITC-02**, electronically on the common portal along with a request for transfer of unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to the transferee:

Provided that in the case of demerger, the input tax credit shall be apportioned in the ratio of the value of assets of the new units as specified in the demerger scheme.

¹[Explanation—For the purpose of this sub-rule, it is hereby clarified that the "value of assets" means the value of the entire assets of the business, whether or not input tax credit has been availed thereon.]

- (2) The transferor shall also submit a copy of a certificate issued by a practicing chartered accountant or cost accountant certifying that the sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of business has been done with a specific provision for transfer of liabilities.
- (3) The transferee shall, on the common portal, accept the details so furnished by the transferor and, upon such acceptance, the un-utilized credit specified in **FORM GST ITC-02** shall be credited to his electronic credit ledger.
- (4) The inputs and capital goods so transferred shall be duly accounted for by the transferee in his books of account.

¹ Explanation inserted by Noti. No. 16/2019–Central Tax, dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 41: कारबार के विक्रय, विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण पर प्रत्यय का अंतरण

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी कारण से कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण या परिवर्तन की दशा में, इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, प्ररूप जीएसटीआर आईटीसी—02 में, अंतरिती के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े हुए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण के लिए अनुरोध के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टे या अंतरण के ब्यौरे देगा:

परन्तु निर्विलयन की दशा में इनपुट कर प्रत्यय को निर्विलयन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नई इकाइयों की आस्तियों के मूल्य के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा।

¹[स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ''आस्ति का मूल्य'' से कारबार की संपूर्ण आस्तियों का मूल्य अभिप्रेत है, चाहे उन पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या नहीं।

- (2) अंतरक किसी भी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण दायित्वों के अंतरण संबंधी विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार किया गया है, जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (3) अंतरिती, सामान्य पोर्टल पर, अंतरक द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, प्ररूप जीएसटीआर आईटीसी—02 में, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित प्रत्यय उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।
- (4) इस प्रकार अंतरित इनपुट और पूंजी माल को, अंतरिती द्वारा उसकी लेखा पुस्तक में सम्यक् रूप से हिसाब में लिया जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 16 / 2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।